

फर्द अहकाम

(नियम 13)

नायब (General Rules (Civil) Rule 103, Appendix 'B' Form No. 91)

अज अदालत तहसूलदार, सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हौलिया जीवराण बनाम

बाइराशम, चौबाराशम के साशम पि
अचलाशम अघवाल हौलिया जीवराण


किसम मुकद्मा - राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

मु. न. 40 सन 2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
16/02/18	<p>पटवारी हलका हौलिया जीवराण ने रिपोर्ट पेश कर सुचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने सवत 2074 में मोजा हौलिया जीवराण के खसरा नं० ... 13 ... रकबा 03*00 बीघा ... किसम भूमि हौलिया मुठेवा पर ताजायज अतिक्रमण कर काशत व कब्जा किया है। अतः राजस्थान राजस्व भू अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गेर सायल को तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 05/03/2018 को बमुकाम आयालय सिणधरी पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">नायब तहसूलदार सिणधरी</p>	
13/3/18	<p>पत्रावली पेश हुई। आज रोज पीठाधीनता अधिकारी पंचापर उप उनवर 2018 के जेनल मजिस्ट्रेट के पर पर बाइर शरियुक्ति हौलिया पत्रावली आईन्दा दिनांक 13/3/18 को पेश है।</p> <p style="text-align: center;">नायब तहसूलदार सिणधरी</p>	<p>बाइराशम चौबाराशम के साशम पि अचलाशम अघवाल हौलिया जीवराण 13/3/18</p>

13/4/18

पत्रावली पेश हुई। गौर साधल अधिकता
 अनुपस्थित। तीन बार भाषण लगाई गई
 लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतिक्रमी
 को 25/2/18 को नोटिस नामित हुआ।
 उसके पश्चात अनेक बार ~~बैठिका~~ जवाब
 साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया
 गया लेकिन अतिक्रमी अथवा उनके अधिकता
 द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया
 इससे स्पष्ट है कि गौर साधल इस संदर्भ
 में कुछ भी कहना नहीं चाहते। एवं
 किली प्रकार का साक्ष्य (न्याय संगत)
 भी नहीं है। अतः गौर साधल को
 अतिक्रमी घोषित किया जाता है। निर्णय
 अलग से लिखा जाकर प्रस्तुत है। निर्णय
 सुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली
 फैसल सुमार होकर मंकर से कर है।


 नाथ तहसीलदार सिणधरी

वर्ष 2018-19 के राजस्व लेखा पंजिका सं. 4 के
 पृष्ठ सं. 9 पर क्र.सं. 5 पर जुमाना/फैसल
 निलामी राशि रु. 250 + 1500 की मांग दर्ज की गई।
 1750
 13.7.18
 तहसील राजस्व लेखाकार
 तहसील सिणधरी